न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 102/2015 **दिनांक : 06–02–2019**

उनवान

1. सादिक हुसैन पिता जुल्फीकार खां अफरीदी मुसलमान वयस्क निवासी सावा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

....................वादी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–श्री मोहम्मद रईस वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादी ने खातेदार भंवरलाल पिता राधु हजूरी की ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ की साबिक खाता संख्या 155 में अंकित आराजी नम्बर 636/2 रकबा 05 बीघा भूमि जरिये पंजिकृत बहनामा से खरीद कर नामान्तरकरण संख्या 879 दिांक 26.06.2010 से खातेदार घोषित हुआ तब से वादी उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है ।

2. यह कि मौजा नाहरगढ तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबन्ध अधिकारियों ने भू प्रबन्ध किया गया दौराने भू प्रबन्ध वा[illegible] आराजी नम्बर 636/2 रकबा 5 बीघा लगान 1.25 रूप्ये के नवीन आ[illegible] एवं नवीन आराजी का रकबा 7.51 हैक्टेयर दर्ज किया गया [illegible]त को वादी के ख[illegible] में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

6/2/19

Scanned with CamScanner

नहीं कर बिलानाम काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई जिससे वादी की ओर से घोषणात्मक डिकी हेतु पेश है ।

3. यह कि वादी ने विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व पंजीकृत बहनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व भू प्रबन्ध के पूर्व ही उक्त आराजीयात वादी के खातेदारमें जरिये नामान्तरकरण की जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्रबन्ध अधिकारियों को खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात के नवीन नम्बर कायम कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि वादी खरीद दिनांक से खरीद 'शुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादी उक्त आराजीयात अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार उक्त आराजीयात अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी होने से वाद पर वादी इन्द्राज दुरूस्ती पेश है ।

4. यह कि विवादित आराजीयात साबिक सेटलमेन्ट में जरिये पंजीकृत बहनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया व सेटलमेनट के दरमियान विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर निर्बाध रूप से उपयोग करता चला आ रहा है फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारियों ने वादी का कब्जा नहीं मानते हुए विवादित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि वह वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे ना करावे ना ही किसी अन्य को उक्त भूमी आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किये जाने हेतु यह वाद पत्र पैश है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम [illegible] करने पर आमादा हो रहे हे एवंकिसी को आंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नो।टिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय सपथ पत्र के पैश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 03.09.2015 को विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की रिपोर्ट करने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि – ग्राम नाहरगढ की जमाबन्दी संवत् 2067–70 की खाता संख्या 155 में आराजी नम्बर 636/2 रकबा 5 बीघा भूमि सादिक हुसैन पिता हाजी जुल्फकार खां अफरीदी मुसलमान साकिन सावा के नाम दर्ज रिकार्ड थी नवीन सेटलमेन्ट में सादिक हुसैन के नाम जमाबन्दी में कोई खाता दर्ज रिकार्ड नहीं है सादिक हुसैन का ग्राम नाहरगढ की आराजी नम्बर 781 कुल रकबा 7.51 हैक्टेयर में से 1.26 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान नवीन आराजी नम्बर 781 गत साबिक आराजी नम्बर 635 मी एवं 636 मी से मिलकर बनी है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से नक्शा ट्रेस मोजा नाहरगढ जमाबन्दी खाता संख्या 155 संवत् 2067–2070 प्रदर्श–1 , नक्शा ट्रेस– प्रदर्श–2 , जमाबन्दी खाता संख्या 1 मौजा नाहरगढ संवत् 2068 प्रदर्श–3, नक्शा मिलान क्षेत्र प्रदर्श–4 ए प्रस्तुत किये गये ।

लायक अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 636/2 रकबा 5 बीघा के कोई नवीन आराजी नम्बर कायम नहीं किये जाने से वादी के खातेदारी से नाम विलोपित हो चुका है तथा प्रार्थी का साबिक रिकार्ड नवीन आराजी नम्बर 781 कुल रकबा 7.51 हैक्टेयर में से 1.26 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है जो साबिक आराजी नम्बर 635 मी एवं 636 मी से मिलकर बनाये बनना प्रमाणित है । अतः वादी के खातेदारी से विलोपित हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.10 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजीयात का समायोजन बिलानाम आराजी नम्बर 781 रकबा 7.51 हैक्टैयर में से 1.26 हैक्टैयर से किये जाना न्यायसंगत होने से वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 636/2 रकबा 05 बीघा का भू प्रबन्ध कार्यवाही मेखातेदारी से हुए विलोपित हुई भूमि का समायोजन भू प्रबन्ध से कायम नवीन बिलानाम आ0न0 781 रकबा 7.51 हैक्टेयर में से 1.26 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के खातेदारी हक से पुनः दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

6/2/19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास– श्री मांगीलाल रेगर, आर0ए0एस0,

उनवान

सादिक हुसैन पिता जुल्फीकार खां अफरीदी मुसलमान वयस्क निवासी सावा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तोडगढ

.....................वादी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955
बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 102/2015

वादी की और से वकील श्री मोहम्मद रईस एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 06.02.2019 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी डिकी किया जाता है कि मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 636/2 रकबा 05 बीघा का भू प्रबन्ध कार्यवाही मे खातेदारी से हुए विलोपित हुई भूमि का समायोजन भू प्रबन्ध से कायम नवीन बिलानाम आ0न0 781 रकबा 7.51 हैक्टेयर में से 1.26 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के खातेदारी हक से पुनः दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 06.02.2019 को [illegible] किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

6/2/19

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner